रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938

No. 112] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/ CHAITRA 10, 1938

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2016

सं:एल–1/12/2010–केविविआ.– केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और उन्हें जारी करने के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1 **संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय विद्युत प्रमाणपत्र की मान्यता और उन्हें जारी करने के निबंधन तथा शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 है।

(2) यह विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2 **मूल विनियमों विनिमय 5 का संशोधन:**

(1) मूल विनियमों के विनियम 5 के खण्ड(1) के उपखण्ड (ग) के अधीन स्पष्टीकरण सहित द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवा व छठे परन्तुक को हटा दिया जाएगा।

(2) निम्नलिखित परन्तुकों को मूल विनियमों के विनियम 5 के खण्ड (1) उपखण्ड (ग) के अधीन प्रथम परन्तुक के बाद जोड़ा जाएगा:

"बशर्ते कि निर्बाध पहुंच के माध्यम से थर्ड पार्टी को विद्युत उपकरण बेचने वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक इस शर्त के अध्याधीन आरईसी योजना में सहभागिता के लिए इस प्रकार के संयंत्र से उत्पादित समूची ऊर्जा के लिए पात्र होगा कि इस प्रकार के उत्पादक रियायती/उन्नायक पारेषण या वीलिंग प्रभार या बैंकिंग सुविधा लाभ के रूप में किसी लाभ को प्राप्त नहीं करते या प्राप्त करने का प्रस्ताव नहीं करते:

बशर्ते यह भी कि यदि इस प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक अपने रियायती/उन्नायक पारेषण या वीलिंग प्रभार या बैंकिंग सुविधा लाभ को छोड़ते हैं तो इस प्रकार के लाभों को छोड़ने की तारीख के बाद केवल आरईसी योजना में सहभागिता के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह कि आरईसी योजना में सहभागिता के लिए निर्बाध पहुंच के माध्यम से थर्ड पार्टी को विद्युत उपकरण बेचने वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक के लिए ऊपरिलिखित शर्त लागू नहीं होगी यदि रियायती पारेषण या वीलिंग प्रभार और/या बैंकिंग सुविधा लाभ के रूप में इस प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक को दिए गए लाभ संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग और/या राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाते हैं:

बशर्ते यह भी कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक ने इस प्रकार की रियायत/उन्नायक लाभ प्राप्त किए हैं तो उन्हें निर्णय के लिए उपयुक्त आयोग को भेजा जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "बैंकिंग सुविधा लाभ" का अर्थ केवल इस प्रकार की बैंकिंग सुविधा होगी जिसके द्वारा कोई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक किसी भी समय (पीक घण्टों सहित) बैंक की ऊर्जा के उपयोग का लाभ प्राप्त करता है भले ही जब इसने ऑफ पीक घण्टों के दौरान ग्रिड में अंतःक्षेपित किया है।"

3 **एक नया खण्ड खण्ड(1क) के बाद निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:**

"(1ख) विद्युत नियमावली 2005 में यथा निर्धारित सीजीपी की शर्तों को पूरा न करते हुए लेकिन स्वउपभोग करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित एक कैप्टेव उत्पादन संयंत्र (सीजीपी) स्व–उपभोग की सीमा तक इस प्रकार के संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा के लिए आरईसी योजना में सहभागिता के लिए पात्र नहीं होगा, यदि इस प्रकार का संयंत्रः

(क) 29 सितंबर, 2010 से पूर्व या 31 मार्च, 2016 के बाद आरंभ किया गया है; या

(ख) 30 जून, 2016 को या उससे पूर्व आरईसी योजना के अधीन सेन्ट्रल एजेन्सी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हुआ है।

बशर्ते कि विद्युत नियमावली 2005 में यथा निर्धारित सीजीपी की शर्तों को पूरा न करते हुए लेकिन स्वउपभोग करते हुए और निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सीजीपीः

(क) 29 सितंबर, 2010 और 31 मार्च, 2016 के बीच आरंभ होने की तारीख है; और

(ख) 30 जून, 2016 को या उससे पूर्व आरईसी के अधीन सेन्ट्रल एजेन्सी के साथ रजिस्टर्ड है।

इस शर्त के अध्याधीन आरईसी योजनार के सहभागिता के लिए इस प्रकार के संयंत्र से उत्पादित समुचित ऊर्जा के लिए पात्र होगा कि प्रकार का संयंत्र रियायती/उन्नायक पारेषण या वीलिंग प्रभार/या बैंकिंग सुविधा लाभ के रूप में कोई लाभ प्राप्त नहीं करता या लाभ प्राप्त करने का प्रस्ताव नहीं करताः

बशर्ते यह है कि यदि आरईसी के लिए पात्रता मानदण्ड की पूर्ति के लिए इस प्रकार का संयंत्र अपने निजी, रियायती पारेषण के लाभ या वीलिंग प्रभार और/या बैंकिंग सुविधा लाभ छोड़ता है तो यह इस प्रकार के लाभों को छोड़ने की तारीख से बीते 3 वर्षों की अवधि के बाद केवल आरईसी योजना में सहभागिता के लिए पात्र हो जाएगाः
बशर्ते यह है कि आरईसी योजना में सहभागिता के लिए ऊपरिलिखित शर्त लागू नहीं होगी यदि रियायती पारेषण या वीलिंग प्रभार और/या बैंकिंग सुविधा लाभ के रूप में इस प्रकार के संयंत्र को दिए गए लाभ संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग और/या राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाते हैं:

बशर्ते यह भी कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि सीजीपी या किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक ने इस प्रकार की रियायत/उन्नायक लाभ प्राप्त किए हैं तो उन्हें निर्णय के लिए उपयुक्त आयोग को भेजा जाएगा।

स्पष्टीकरणः इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "बैंकिंग सुविधा लाभ" का अर्थ केवल इस प्रकार की बैंकिंग सुविधा होगी जिसके द्वारा कोई सीजीपी या किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक किसी भी समय (पीक घण्टों सहित) बैंक की ऊर्जा के उपयोग का लाभ प्राप्त करता है भले ही जब इसने ऑफ पीक घण्टों के दौरान ग्रिड में अंतक्षेपित किया है।"

3 **मूल विनियमों के विनियम 8 का संशोधनः**

मूल विनियमों के विनियम 8 के खण्ड(3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"पात्र कैप्टेव उत्पादन संयंत्र सहित एक पात्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक को संबंधित राज्य एजेन्सी द्वारा अधिप्रमाणन और सत्यापन के अध्याधीन उपभोक्ता के रूप में इसकी नवीकरणीय क्रय बाध्यता की ऑफ सेटिंग के लिए प्रमाणपत्रों को प्रतिधारित करने की अनुमति होगी।"

टी. राउत, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/4/असा./.415/(150)]

टिप्पणीः

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्ते) विनियम 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18.01.2010 के भाग III, खण्ड 4 क्र.सं. 26 में अधिसूचित किया गया और निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गयाः

(क) प्रथम संशोधन विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) 01.10.2010 के भाग III, खण्ड 4, सं. 249 में प्रकाशित कियाा गया।

(ख) द्वितीय संशोधन विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) 11.07.2013 के भाग III, खण्ड 4, सं. 192 में प्रकाशित कियाा गया।

(ग) तृतीय संशोधन विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) 31.12.2014 के भाग III, खण्ड 4, सं. 380 में प्रकाशित कियाा गया।

(घ) शुद्धिपत्र दिनांक 27.01.2015

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2016

F. No. L-1/12/2010-CERC.– In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) (Fourth Amendment) Regulations, 2016.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations:

(1) Second, third, fourth, fifth and sixth proviso including the explanation under sub-clause (c) of Clause (1) of Regulation 5 of the Principal Regulations shall be deleted.

(2) The following provisos shall be added after the first proviso under sub-clause (c) of Clause (1) of Regulation 5 of the Principal Regulations:

"Provided further that a renewable energy generator selling electricity component to third party through open access shall be eligible for the entire energy generated from such plant for participating in the REC scheme subject to the condition that such generator does not avail or does not propose to avail any benefit in the form of concessional/promotional transmission or wheeling charges or banking facility benefit:

Provided also that if such a renewable energy generator forgoes on its own, the benefits of concessional/promotional transmission or wheeling charges or banking facility benefit, it shall become eligible for participating in the REC scheme only after the date of forgoing such benefits:

Provided also that the above mentioned condition for renewable energy generator selling electricity component to third party through open access for participating in the REC scheme shall not apply if the benefits given to such renewable energy generator in the form of concessional transmission or wheeling charges and/or banking facility benefit are withdrawn by the concerned State Electricity Regulatory Commission and/or the State Government:

Provided also that if any dispute arises as to whether a renewable energy generator has availed such concessional/promotional benefits, the same shall be referred to the Appropriate Commission for decision.

Explanation: For the purpose of this Regulation, the expression "banking facility benefit" shall mean only such banking facility whereby any renewable energy generator gets the benefit of utilizing the banked energy at any time (including peak hours) even when it has injected into grid during off-peak hours."

(3) A new Clause shall be inserted after Clause (1A) as under:

"(1B) A Captive Generating Plant (CGP) based on renewable energy sources, including renewable energy generating plant not fulfilling the conditions of CGP as prescribed in the Electricity Rules, 2005 but having self-consumption, shall not be eligible for participating in the REC scheme for the energy generated from such plant to the extent of self-consumption, if such a plant:

a) has been commissioned prior to 29th September 2010 or after 31st March 2016; or

b) is not registered with Central Agency under REC scheme on or before 30th June 2016.

Provided that a CGP based on renewable energy sources, including renewable energy generating plant not fulfilling the conditions of CGP as prescribed in the Electricity Rules, 2005 but having self-consumption, and fulfilling both the following conditions:

a) having date of commissioning between 29th September 2010 and 31st March 2016; and

b) registered with Central Agency under REC scheme on or before 30th June 2016

shall be eligible for the entire energy generated from such plant for participating in the REC scheme subject to the condition that such plant does not avail or does not propose to avail any benefit in the form of concessional/promotional transmission or wheeling charges and/or banking facility benefit:

Provided further that if such plant meeting the eligibility criteria for REC, forgoes on its own, the benefits of concessional transmission or wheeling charges and/or banking facility benefit, it shall become eligible for participating in the REC scheme only after a period of three years has elapsed from the date of forgoing such benefits:

Provided also that the above mentioned condition for participating in the REC scheme shall not apply if the benefits given to such plant in the form of concessional transmission or wheeling charges and or banking facility benefit are withdrawn by the concerned State Electricity Regulatory Commission and/or the State Government:

Provided also that if any dispute arises as to whether a CGP or any other renewable energy generator has availed such concessional/promotional benefits, the same shall be referred to the Appropriate Commission for decision.

Explanation:- For the purpose of this regulation, the expression 'banking facility benefit' shall mean only such banking facility whereby the CGP or any other renewable energy generator gets the benefit of utilizing the banked energy at any time (including peak hours) even when it has injected into grid during off-peak hours."

3. **Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:**

Clause (3) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"An eligible renewable energy generator including an eligible captive generating plant shall be permitted to retain the certificates for offsetting its renewable purchase obligation as a consumer subject to certification and verification by the concerned State Agency:"

T. ROUT, Chief (Legal)

[ADVT.-III/4/Exty./415./(150)]

Note:

The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Recognition and Issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 were notified in Part III, Section 4, No. 26 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 18.1.2010 and amended vide:-

(a) First Amendment Regulations published in Part III, Section 4, No. 249 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 01.10.2010.

(b) Second Amendment Regulations published in Part III, Section 4, No. 192 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 11.7.2013.

(c) Third Amendment Regulations published in Part III, Section 4, No. 380 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 31.12.2014.

(d) Corrigendum dated 27.1.2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.